

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

सं० सं०-17/विविध 1-218/2022

पटना, दिनांक :-

विभागीय आदेश संख्या-651(17) दिनांक-17.06.2025 के क्रम सं०-04 पर अंकित डा० रेशिता, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को संशोधित रूप से डा० ऋषिता (Dr. Reshita), सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी पढ़ा जाय।

2. उक्त आदेश संख्या-651(17) दिनांक-17.06.2025 के शेष भाग यथावत् रहेंगे।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 17/विविध 1-218/2022 7/5. (17) पटना, दिनांक :- 04.07.2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकर (ले० एवं ह०) कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

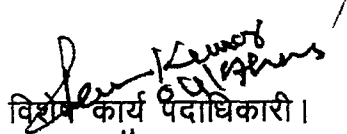
प्रतिलिपि:- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।